न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 266 / 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

1. हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया
वादी

बनाम्

1. सुखवीर सिंह पुत्र श्री मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरां तहसील संगरिया।
2. सुखदीप कौर पत्नी श्री सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
3. रमनप्रीत कौर पुत्री श्री सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री अनिल चोयल एडवोकेट (वादी)
श्री शिवशंकर एडवोकेट (प्रतिवादी सं. 1 ता 3)

दिनांकः– 10.6.2023

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी के परिवार की विरास्तन कृषि भूमि मौका पर चक 4 पीटीपी के खाता संख्या 3/44 में 1.923 है. दर्जि राजस्व रिकार्ड है। उक्त समस्त कृषि भूमि विरास्तन कृषि भूमि है तथा वादी के दादा मिठू सिंह से प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त है। तथा वादी का उक्त भूमि में जन्म से प्राप्त हित व स्वत्व निहित है। उक्त खाता की असल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त चूकि विरास्तन कृषि भूमि है। परन्तु मौका पर प्रतिवादी के नाम से है तथा वादी की प्रतिवादी सं. 1 के साथ जीवन यापन करना विचारों की भिन्नता के कारण दुर्भर हो गया तथा वादी की शिक्षा व भरण पोषण हेतु आय की आवश्यकता होती है। इस कारण बिना कृषि भूमि के जो कि विरास्तन है,वादी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। उक्त भूमि के बिना वादी का गुजर बसर करना व वादी की पढाई लिखाई करवाना अत्यधिक मुश्किल है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 उक्त कृषि भूमि की कमाई का दुरूपयोग करने लग गया है। समस्त आय का उपयोग व उपभोग अपनी निजी जरूरत , व्यसनों पर खर्च करने लग गया है। प्रतिवादी सं. 1 की इन्ही आदतों के कारण वादी को उसकी मूलभूत आवश्यकता हेतु भी विरास्तन कृषि भूमि की आय में से हिस्सा देने से प्रतिवादी सं. 1 ने इन्कार कर दिया इस कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक दूसरे के साथा लडाई झगडा करने पर उतारू हो गए, जिस पर रिश्तोदारों ने आपसी राजीनामा करवाकर बंटवारा करवा दिया, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं.1 बंटवारा के रोज से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है, जो निम्नानुसार हैः–

क. वादी हरजिन्द्र सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–
चक 4 पीटीपी खाता सं. 3/44 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज विरास्तन कृषि भूमि मे से 0.911 है. कृषि भूमि।

ख. प्रतिवादी सं. 1 सुखवीर सिंह के हक व हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–
चक 4 पीटीपी खाता सं. 3/44 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज विरास्तन भूमि में से 1.012 है. कृषि भूमि।

वादी बंटवारा के रोज से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है परंतु उक्त विरास्तन कृषि भूमि जिसमें कि वादी का जन्म से प्राप्त हित व स्वत्व निहित है। पंरतु उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 एवं अन्य लोग एक दूसरे के प्रभाव में है तथा वादी को , वादी की उक्त कृषि भूमि को विक्रय

10/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल.....बोलांवाली

करने एवं बंदखल करने की धमकी देते है। भविष्य में यदि प्रतिवादी सं.1 उपने उक्त कृत्य में सफल हो जाता है तो वादी अपने विधिक व साम्पतिक अधिकारों से वचित हो जाएगा और वादी के हितों पर , जीवन पर व भरण पोषण, शिक्षा अदि पर इसका विपरीत प्रभाव पडेगाा। जबकि वादी उक्त कृषि भूमि का विधिक रूप से अधिकारी एवं दावेदार है। वादी का उक्त कृषि भूमि में जन्म से प्राप्त हित व उत्तराधिकार विधिक अनुसार हक व स्वत्व निहित है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी से उसको विरास्तन कृषि भूमि का बंटवारा व कब्जाकाश्त घोषित करवाने बाबत निवेदन किया तो वह ऐसा करने से कतई इंकार हो गया। बस यही वाद का कारण है।

अतः वादी को मुताबिक बंटवारा व कब्जाकष्त व उतराधिकार विधि क प्रावधानों अनुसार वाद पत्र की चरण सं. 4 क के अनुसार चक 4 पीटीपी खाता सं. 3/44 में प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज विरास्तन कृषि भुमि में से 0.911 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उक्त भूमि से प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से की ओर से जबावदावा प्रस्तुत किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के मध्य राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 4 राजपैरोकार की ओर से जबाब स्टेट पेश किया गया, जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के घरू विभाजन अपनी अपनी काश्त की सुविधानुसार हो चुका है।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के मध्य वादग्रस्त भूमि का परस्पर राजीनामा हो चुका है। प्रतिवादी सं. 1 का जबाबदावा पेश हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 4 ने जवाब स्टेट पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक सहमति अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:–

चक 4 पीटीपी खाता सं. 3/44 में प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज विरास्तन कृषि भुमि में से 0.911 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उक्त भूमि से प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रकम–राज अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10-6-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

10/6/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
शिविर स्थल बोलावली

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

प्रकरण संख्या:– 266 / 2023

1. हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया

वादी

बनाम्

1. सुखवीर सिंह पुत्र श्री मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरां तहसील संगरिया।
2. सुखदीप कौर पत्नी श्री सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
3. रमनप्रीत कौर पुत्री श्री सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
4. तहसीलदार राजस्व सगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल चोयल एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला व श्री शिवशंकर एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 ता 3 तथा राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :–

चक 4 पीटीपी खाता सं. 3/44 में प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज विरास्तन कृषि भुमि में से 0.911 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उक्त भूमि से प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रकम–राज अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिए जाते है।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....X....नल.....X....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत्.....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....16/6/2023.....को जारी किया गया।

10/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल.....[illegible]